

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कम्पनी)  
पंजीकृत कार्या.पो.आ.-सिंगरौली,  
जिला-सिंगरौली 486889 (म.प्र.)  
निगमित पहचान पत्र संख्या-  
U10102MP1985GO1003160  
Ph : 07805-266670 (O), (Fax)07805266640



Northern Coalfields Limited

(A Mini Ratna Company)

Registered Office: PO- Singrauli Colliery,

Dist- Singrauli MP- 486 889

Corporate Identification No:

U10102MP1985GO1003160

Ph : 07805-266670 (O), (Fax)07805266640

// अपील //

साथियों,

आप सभी अवगत हैं कि एनसीएल में संचालित श्रमिक संघों यथा- कोलियरी मजदूर सभा (एटक), राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ (इटक) एवं कोलफील्ड लेबर यूनियन (सीटू) के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एनसीएल की समस्त परियोजना/ इकाई में दिनांक 02.09.16 को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम -1947 के नियमों के तहत इसकी सूचना सहायक श्रमायुक्त(के.)/क्षेत्रीय श्रमायुक्त(के.) को दी गई है। यह मामला वर्तमान में Conciliation की प्रक्रिया के अधीन है।

आप अवगत ही हैं कि वर्तमान समय कोयला कंपनियों के लिए कोयला उत्पादन के लिए अतिमहत्वपूर्ण है कोयला उत्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा या रूकावट से उत्पादन प्रतिकूल प्रभावित होगा तथा Loss Making परियोजनाओं को Revive करने में और कठिनाईयां आयेंगी। साथ ही राष्ट्रहित में ऊर्जा के महती आवश्यकता के मददे नजर कोयला उत्पादन एवं कोयला प्रेषण के सन्दर्भ में हमारी कम्पनी को दी गई जिम्मेदारी एवं समग्र रूप में एनसीएल एवं कोल इंडिया के वर्ष 2016-17 के कोयला उत्पादन की लक्ष्य प्राप्ति प्रतिकूल प्रभावित होगी।

ऐसी अवस्था में कंपनी के कार्य को बाधित करना, कंपनी के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों के विरुद्ध होगा तथा राष्ट्र में कोयले के मांग को पूरी होने में अवरोध उत्पन्न करेगा। आपको यह विदित ही है कि एनसीएल द्वारा उत्पादित सकल कोयला उत्पादन का लगभग 98% कोयला विद्युत ताप गृहों को भेजा जाता है और जिससे ताप विद्युत गृहों द्वारा निर्वाह गति से राष्ट्रीय हित में विद्युत उत्पादन हो पाता है, इसमें भी बाधा आएगी तथा राष्ट्र की प्रगति बाधित होगी।

इसके अलावा जनहित में औद्योगिक विवाद अधिनियम - 1947 (14 of 1947) के सेक्सन- 2 क्लाज - (n) सब क्लाज - VI के अनुसार Ministry of Labour & employment, भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन द्वारा कोयला उद्योग को Public Utility Service ( लोकोपयोगी सेवा घोषित ) घोषित किया है। इस प्रकार इसके अंतर्गत भी हड़ताल अवैध है। ऐसी परिस्थिति में हड़ताल में जाने वाले कर्मचारी के वेतन से मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 एवं नियम की धारा- 9 (2) के तहत 08 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि काटी जा सकती है साथ ही हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी " काम नहीं तो वेतन नहीं " के सिद्धांत के तहत कार्य पर अनुपस्थित रहने की अवधि में मजदूरी से भी वंचित होंगे तथा अन्य अनुशासनिक कार्यवाहीयां भी की जा सकती हैं एवं कर्मचारियों की सर्विस भी ब्रेक की जा सकती है।

हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का प्रत्येक कर्मचारी कंपनी के प्रति अपने दायित्वों एवं विवेक का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित गैर कानूनी / अवैधानिक हड़ताल में भाग नहीं लेंगे और हड़ताल से होने वाले दुष्परिणामों के सहभागी नहीं होंगे तथा सदैव की भाँति अपना कार्य सामान्य रूप से करते हुए कंपनी व राष्ट्रहित में उत्पादन बनाये रखने में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग करेंगे।


वर्तमान बरसात के मौसम में भारी वर्षा होने के कारण एनसीएल के सभी खदानों में पानी भर गया है। सभी खदानों में पम्पों का लगाना एवं लगे हुए पम्पों को चलाना खदानों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टि से खदानों का भी चलते रहना अति आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में एक दिन की हड़ताल खदानों की सुरक्षा के लिए हानि कारक होगी, एक दिन में जो पानी बढेगा उसे निकालने में अगले सात से आठ दिन का समय लगेगा। पानी बढने से पम्पों के डूबने का खतरा भी बना रहेगा।

अंत में एक बार पुनः आप सभी कर्मचारी बन्धुओं से अपील है कि आप सभी उक्त प्रस्तावित दिनांक 02.09.16 की हड़ताल में राष्ट्रहित एवं कंपनी हित को ध्यान में रखते हुए भाग नहीं ले और एक जागरूक व्यक्ति एवं श्रमिक के रूप में अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए राष्ट्र के विकास चक्र को गतिशील बनाये रखने में सहायक सिद्ध हों तथा उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सक्रिय सहयोग करें। प्रबंधन को आप सभी से ऐसी ही अपेक्षा है कि प्रबंधन के इस पक्ष का संज्ञान लेते हुए दिनांक 02-09-2016 को आप सभी सामान्य कार्य दिवस की भाँति निर्बाध रूप से अपने कार्य को सम्पन्न करें।

आईये एनसीएल कोयला कंपनी को नई ऊँचाईयों तक ले जाने के लिए हम लोग मिलजुल कर काम करें।

धन्यवाद।

  
अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक  
एनसीएल, सिंगरौली

दिनांक :- 30.08.16

स्थान :- एनसीएल, सिंगरौली।

7